इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2013

क्र. एफ ए 3-20-2013-1-पांच (38).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के उन निम्नलिखित वर्गों को अधिसूचित करती है, जिनके वर्ष 2010-11 के कर निर्धारण के मामले मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन लंबित है तथा यह निदेश देती है कि वेट अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए उनका कर निर्धारण निम्नलिखित अपेक्षाओं, प्रतिबंधों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर दिया गया समझा जाएगा:—

1. **रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों का वर्ग.**—वित्तीय वर्ष 2010-11 में दस करोड़ रुपये तक वार्षिक टर्न ओवर वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, किन्तु जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:—

(1) ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किसी अधिसूचना के अधीन छूट/कर के संदाय के आस्थगन/निवेश संवर्धन सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हों.

(2) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कर अपवंचन पाया गया है.

(3) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन कर की अतिरिक्त राशि के लिए सूचना-पत्र जारी किया गया हो तथा इस अपेक्षा का पालन नहीं किया गया हो.

(4) वेट अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन कर संपरीक्षा के पश्चात् जारी किया गया सूचना-पत्र के अनुपालन में, यथास्थिति, कर की राशि तथा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया हो.

(5) वेट अधिनियम, 2002 या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन उसे किसी प्रकार की वापसी शोध्य होने की दशा में.

(6) ऐसे व्यापारी जिनके वेट पंजीयन प्रमाण-पत्र वर्ष 2010-11 के दौरान निरस्त किए जाकर पुन: जीवित किए गए हों.

2. **अधिनियम तथा कर निर्धारण वर्ष.**—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन वित्तीय वर्ष 2010-2011 के कर निर्धारण के लंबित मामले.

3. **आवेदन पत्र.**—वेट अधिनियम, 2002 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप ''क'' ''ख'' तथा ''ग'' में, पृथक् से आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

4. **आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा तथा सक्षम अधिकारी.**—पात्र व्यापारी द्वारा, इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप ''क'', ''ख'' तथा ''ग'' में, जो भी उसे लागू हो, आवेदन 15 जुलाई 2013 तक, उस कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वित्तीय प्रस्तुत किया जाएगा जिसके समक्ष वित्तीय वर्ष 2010-11 का कर निर्धारण प्रकरण लंबित हो.

5. **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज.**—(1) संबंधित वर्ष के लिए संदत्त किए गए कर तथा ब्याज की रकम के, यदि कोई हो, भुगतान के सबूत के रूप में चालान की प्रति.

(2) वेट अधिनियम के अधीन आवेदन के साथ (विक्रेता का नाम, टिन बिल क्रमांक, दिनांक, बिल की रकम और पृथक् से संगृहित किए गए वेट की राशि विनिर्दिष्ट करते हुए) आगत कर रिबेट के लिए क्रयों की सूची प्रस्तुत की जाएगी.

(3) प्रत्येक व्यापारी जिसका वित्तीय वर्ष 2010-11 में सकल विक्रय रुपये 60 लाख से अधिक है तो वह उक्त अवधि की चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा तैयार की गई आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

(4) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन (प्ररूप-सी/एफ/ई-1/ई-2/एच/आई), कर में छूट तथा कर की रियायती दर के लिए विहित घोषणा पत्र सूची के साथ संलग्न किए जाएंगे.

6. **उन व्यापारियों के लिए जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है.**—यदि किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जिसने इस अधिसूचना के अधीन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, विभागीय अभिलेख में, संबंधित कालावधि के दौरान किए गए क्रयों या विक्रयों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है या किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि संबंधित कालावधि के दौरान उसके द्वारा कोई क्रय अथवा विक्रय नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यापारी का कर निर्धारण कर दिया गया समझा जाएगा.

7. **आवेदन का चयन.**—आयुक्त, व्यापारियों से प्राप्त आवेदनों में से, ऐसे मानदण्ड विर्निदिष्ट करते हुए, जैसा कि वह ठीक समझे, चयन करेगा और उस पर संबंधित अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार कर निर्धारण किया जाएगा.

8. **अपनायी जाने वाले प्रक्रिया, जिसके अधीन कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा.**—(1) यदि सक्षम अधिकारी, जिसके समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किसी अनुलग्नक को अपूर्ण पाता है अथवा गणना के संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा.

(2) यदि कोई यथापूर्वोक्त त्रुटि पाई जाती है तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाएगा और सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी तथा आवेदक को संसूचित की जाएगी.

(3) आवेदक, त्रुटियां, यदि कोई हों, को दूर करेगा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा. त्रुटियों के सुधार के पश्चात् सक्षम अधिकारी आवेदन स्वीकार करेगा और उसका कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा.

(4) यदि व्यापारी सुनवाई हेतु नियत तारीख को अनुपस्थित रहता है या त्रुटि नहीं सुधारी जाती है तो आवेदन अस्वीकार किया जाएगा ओर उसकी सूचना व्यापारी को भेजी जाएगी.

(5) आवेदन को स्वीकार किए जाने की सूचना आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजी जाएगी. उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर व्यापारी को संसूचना नहीं दिए जाने की दशा में, यह उपधारणा की जाएगी कि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है.

(6) योजना के क्रियान्वयन के लिए समुचित अनुदेश आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी किए जा सकेंगे.

प्रारूप–क

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में अधिसूचना क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . के अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी (अधिकारी),

. . . .

. . . .

1. व्यापारी का नाम एवं पता . . . .
2. टिन (करदाता का पहचान क्रमांक) . . . .
3. सकल विक्रय राशि (ग्रास टर्नओवर) . . . .
4. कटौतियां :—
   - (क) पृथक् से प्रभारित भाड़ा या परिदान या संस्थापन व्यय की राशि. . . . .
   - (ख) नगद छूट की राशि . . . .
   - (ग) छह माह के भीतर विक्रय वापसी की राशि. . . . .
   - (घ) कर मुक्त घोषित किए गए माल की विक्रय राशि . . . .
   - (ङ) प्रदेश के बाहर विक्रय/ब्रांच ट्रांसफर की राशि (एफ फार्म सहित सूची संलग्न करें). . . . .
   - (च) अंतर्राज्यीय विक्रय राशि . . . .
   - (छ) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय . . . .
   - (ज) अन्य कटौतियां (उसके विवरण एवं साक्ष्य दें) . . . .
     कुल कटौतियां (क से ज तक)
5. कर योग्य कुल विक्रय राशि (टर्नओवर) (3-4) . . . .
6. कर योग्य कुल राशि (टर्नओवर) की दर के अनुसार वर्गीकरण. . . . .

कर की दर	कुल विक्रय	देय कर
13 प्रतिशत		
5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
अन्य दर, यदि कोई हो		
कुल योग . .		

7. क्रय कर

दर	कर योग्य क्रय मूल्य	देय क्रय कर
13 प्रतिशत		
5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
कर की अन्य दर		
कुल योग . .		

8. आगत कर में छूट का अभिशून्यन (रिवर्सल)

दर	कुल राशि (टर्नओवर)	अभिशून्य किया गया आगत कर
13 प्रतिशत		
5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
कर की अन्य दर		
कुल योग . .		

9. कुल योग (6+7+8)

10. आगत कर में छूट की गणना

दर	कुल राशि (टर्नओवर)	आगत कर
13 प्रतिशत		
5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
कर की अन्य दर		
कुल योग . .		

11. कर निर्धारण वर्ष 2009-10 में कर निर्धारक अधिकारी द्वारा अग्रनीत (केरिफारवर्ड) आगत कर रिवेट की राशि. : . . . .
12. वेट के विरुद्ध समायोजित आगत कर रिबेट की राशि : . . . .
13. केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर रिबेट की राशि : . . . .
14. अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को अंतरित आगत कर रिबेट की राशि : . . . .
15. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अग्रनीत आगत कर रिबेट की राशि : . . . .
16. शेष देय मांग (9-12) : . . . .
17. धारा 18 (4) (क) के अधीन ब्याज की राशि (यदि देय हो) : . . . .
18. धारा 18 (4) (ख) के अधीन शास्ति की राशि (यदि देय हो) : . . . .
19. देय वेट, ब्याज एवं शास्ति की कुल राशि (16+17+18) : . . . .
20. चालानों द्वारा जमा राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो) : . . . .
21. टी. डी. एस. प्रमाण-पत्रों की राशि : . . . .
22. समायोजित वापसी की राशि (आर. ए. ओ. न.) : . . . .
23. जमा राशि का योग (20+21+22) : . . . .
24. शेष अतिरिक्त मांग (19-23) : . . . .
25. वापसी की राशि, यदि कोई हो : . . . .
26. यदि आगत कर रिबेट अग्रनीत (केरिफारवर्ड) किया गया हो तो वापसी की राशि : . . . .
27. कॉलम 11 एवं कॉलम 26 में दर्शाई गई राशि में अंतर होने की स्थिति में कारण विनिर्दिष्ट करें : . . . .
28. आवेदन के समय जमा की राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक) : . . . .

मैं, ... का प्रोपराईटर/भागीदार/डायरेक्टर/ . . . . एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है.

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर : . . . .

फर्म का नाम : . . . .

प्रारूप-ख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में अधिसूचना क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . के अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी (अधिकारी),

. . . .

. . . .

1. व्यापारी का नाम एवं पता . . . .
2. टिन (करदाता का पहचान क्रमांक) . . . .
3. सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय . . . .
4. कटौतियां :—
   (क) पूर्णत: कर मुक्त माल का विक्रय मूल्य . . . .
   (ख) पश्चात्वर्ती विक्रय (सूची के साथ प्ररूप सी एवं ई-1/ई-2, संलग्न करें). . . . .
   (ग) अन्य कटौतियां (उसका विवरण एवं साक्ष्य दें)

   कुल कटौतियां
5. कर योग्य विक्रय (3-4) . . . .
6. कर योग्य विक्रय का दर अनुसार विभाजन

विवरण	विक्रय कुल राशि	कर की दर	कर की राशि
01. ''सी'' फार्म घोषणा पत्रों पर विक्रय (सूची अनुसार).			
02. बिना ''सी'' फार्म घोषणा पत्रों के विक्रय			
03.			
04.			

7. कुल देयकर . . . .
8. वेट अधिनियम की धारा 18(4) (क) के अधीन ब्याज की राशि (यदि देय हो) . . . .
9. वेट अधिनियम की धारा 18(4) (ख) के अधीन शास्ति की राशि (यदि देय हो) . . . .
10. देय कर, उस पर ब्याज एवं शास्ति (7+8+9) का योग
11. वेट अधिनियम से केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर रिबेट की राशि . . . .
12. चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो) . . . .
13. वापसी समायोजित राशि (आर. ए. ओ. न.) . . . .
14. योग (11+12+13) . . . .
15. शेष अतिरिक्त मांग (10-14) . . . .
16. वापसी की राशि (यदि कोई हो)
17. आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें) . . . .

मैं, ... प्रोपराईटर/भागीदार/डायरेक्टर/ . . . . एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं.

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर : . . . .

फर्म का नाम : . . . .

प्रारूप–ग

प्रवेश कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में अधिसूचना क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . के अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी (अधिकारी),

. . . .

1. व्यापारी का नाम एवं पता . . . .
2. करदाता का पहचान क्रमांक (टिन) . . . .
3. सकल क्रय राशि . . . .
4. कटौतियां :—
   (1) धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल का क्रय मूल्य . . . .
   (2) स्थानीय माल का क्रय मूल्य . . . .
   (3) स्थानीय माल को छोड़कर अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से क्रय किए गए माल का क्रय मूल्य . . . .
   (4) अन्तर्राज्यीय विक्रय में गए माल का क्रय मूल्य . . . .
   (5) प्रदेश बाहर विक्रय/ट्रान्सफर में गए माल का क्रय मूल्य . . . .
   (6) निर्यात के अनुक्रम में गए माल का क्रय मूल्य . . . .
   (7) पुन: विक्रय हेतु अनुसूची-तीन के माल का क्रय मूल्य . . . .
   (8) अन्य कटौतियां (उसके विवरण एवं साक्ष्य दें) . . . .
   (9) कुल कटौतियां . . . .
5. कर योग्य क्रय राशि (3-4) . . . .
6. कर योग्य राशि पर कर की गणना . . . .

दर	कर योग्य राशि	देय कर
1. प्रतिशत		
2. प्रतिशत		
अन्य दर		

7. कुल देय प्रवेश कर . . . .
8. वेट अधिनियम की धारा 18(4)(क) के अनुसार ब्याज की राशि, यदि कोई हो . . . .
9. वेट अधिनियम की धारा 18(4)(ख) के अनुसार शास्ति की राशि, यदि कोई हो . . . .

10. योग (7+8+9) ....
11. मुजराई (यदि कोई हो) ....
12. वापसी समायोजन की राशि (आर.ए.ओ.न.) ....
13. योग (11+12) ....
14. शेष देय मांग (10-13) ....
15. चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि कोई राशि पूर्व में जमा की गई हो) ....
16. शेष अतिरिक्त मांग (14-15) ....
17. वापसी की राशि (यदि कोई हो) ....
18. आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें) ....

मैं, ... प्रोपराईटर/भागीदार/डायरेक्टर/ .... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है.

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर : ....

फर्म का नाम : ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2013

क्र. एफ ए 3-20-2013-एक-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-20-2013-1-(38), दिनांक 21 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 21st June 2013

No. F-3-20-2013-1-V (38).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) read with sub-section (2) of Section 20-A of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies the following class of registered dealers whose assessments cases are pending under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), for year 2010-11 and directs that their assessments shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1) of Section 20 of the VAT Act, subject to the following requirements, restrictions and conditions, namely :—

1. The class of registered dealers.—The registered dealers having annual turn over up to Rupees 10 crores during the financial year 2010-11, but does not include the following:—

(1) Such Industrial unit which are eligible to avail of the facility of exemption/deferment of payment of tax /Investment Promotion Assistance under any notification issued by the Government of Madhya Pradesh.

(2) The dealers in whose cases tax evasion has been detected for the financial year 2010-11.

(3) The dealers in whose cases notice has been issued for additional amount of tax under clause (b) of sub-section (5) of Section 18 of the VAT Act and this requirement has not been complied with.

(4) In compliance of the notice issued after tax audit under sub-section (6) of Section 19 of the VAT Act, the amount of tax and interest, as the case may be, has not been deposited.

(5) In case refund of any kind is due to him under VAT Act, 2002 or Central Sales Tax Act, 1956 or the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976.

(6) Such dealers, whose cancelled VAT Registration certificates have been restored during 2010-11.

2. Acts and the assessment year.— Pending assessment cases under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 for the financial year 2010-11.

3. Application.—An application shall be submitted separately in Form-'A', 'B' and 'C' appended to this notification under the VAT Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 and Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976.

4. Time limit for submission of the application and the competent officer.—An application shall be submitted by the eligible dealer upto 15th July, 2013 in Form 'A' or 'B' or 'C' appended to this notification whichever applicable, to the appropriate assessing officer before whom the assessment case for the financial year 2010-11 is pending.

5. The documents to be enclosed with the application.— (1) A copy of challan in proof of payment of amount of tax and interest, if any, paid for relevant year.

(2) A list of purchases for the rebate of input tax shall be submitted with the application under VAT Act (Specifying the name of seller, TIN, bill number, date, amount of bill and amount of VAT collected separately).

(3) Every dealer whose turnover during the financial year 2010-11 exceeds Rs. Sixty lacs shall submit an audit report prepared by Chartered Accountant.

(4) The declaration prescribed for exemption of tax and concessional rate of tax under the Central Sales Tax Act (Form-C/F/E-1/E-2/H/I) shall be enclosed along with their list.

6. For the dealers who have not submitted application.— In respect of a dealer who has not submitted application under this notification, if no information is available relating to purchases or sales made during the relevant period in the departmental record or where a field report has been filed by any departmental officer to the effect that no purchases or sales have been made in the relevant period, the assessment shall be deemed to have been made for such dealer.

7. The selection of application—The Commissioner shall select applications out of received ones from dealers by specifying the criterion, as he may think fit, and thereupon assessment of such dealers shall be made in accordance with the provisions of the respective Acts and Rules.

8. Procedure to be followed under which assessment shall be deemed to have been made.—(1) If the competent officer, before whom an application is submitted, finds any enclosure as incomplete or any mistake in respect of calculation is detected, he shall afford one opportunity of hearing to the applicant.

(2) If any defect as aforesaid is found after recording the reasons thereof, a show cause notice shall be issued and the date of hearing shall be fixed and communicated to the applicant.

(3) The applicant shall rectify the defect, if any, and file the documents. After the removal of defects the competent officer shall accept the application and thereupon assessment shall be deemed to have been made.

(4) If the dealer remains absent on the date fixed for hearing or the defect is not removed, the application shall be rejected and intimation thereof shall be sent to the dealer.

(5) The intimation for acceptance of the application shall be sent within 30 days from the date of application. In case communication within above mentioned period is not given to the dealer, it shall be presumed that his application has been accepted.

(6) Appropriate instructions for the implementation of the scheme may be issued by the Commissioner, Commercial Tax.

FORM-A

Application under the Notification No. . . . . dated . . . .

for the assessment case of financial year 2010-11 under Madhya Pradesh VAT Act, 2002

To,

The Assessing Authority, (Officer)

. . . .

. . . .

1. Name and address of Dealer : ....
2. (TIN) Taxpayers Identification No : ....
3. Gross turnover : ....
4. Deductions:- : ....
   (a) Cost of freight or delivery or installation separately charged. : ....
   (b) Amount of cash discount : ....
   (c) Amount of sales return within six months. : ....
   (d) Amount of sale of goods declared tax free. : ....
   (e) Sales outside the State/amount of branch transfer. (Attach form 'F' along with list). : ....
   (f) Amount of Inter State sales : ....
   (g) Sales in the course of export out of the territory of India. : ....
   (h) Other deductions (give particulars and evidence) : ....
   Total deductions (a to h) : ....
5. Taxable Turnover (3-4) : ....
6. **Rate wise classification of taxable turnover**

Rate of tax	**Total Sales**	**Tax payable**
13 percent		
5 percent		
4 percent		
other rate, if any,		
Total		

7. **Purchase Tax**

Rate	Taxable purchase price	Purchase tax payable
13 percent		
5 percent		
4 percent		
other rate of tax		
Total		

8. **Reversal of Input tax rebate**

Rate	Turnover	Reversed Input tax
13 percent		
5 percent		
4 percent		
other rate of tax		
Total		

9. Gross Total (6+7+8)

10. **Calculation of input tax rebate**

Rate	Turnover	Input tax
13 percent		
5 percent		
4 percent		
other rate of tax		
Total		

11. Carry forwarded Input tax rebate amount by the Assessing Officer in the assessment year 2009-2010 : ....

12. Amount of Input tax rebate adjusted against VAT : ....

13. Amount of Input tax rebate adjusted against Central Sales Tax. : ....

14. Amount of Input tax rebate transferred to other Registered Dealer : ....

15. Amount of Input tax rebate carried over for the financial year 2011-2012. : ....

16. Remaining demand payable (9-12)

17. Amount of interest (if payable) according to Section 18(4)(a) : ....

18 Amount of penalty (if payable) according to section 18(4)(b) : ....

19. Total amount of tax, interest and penalty payable (16+17+18) : ....

20. Amount deposited by challan (if deposited previously) : ....

21. Amount of TDS Certificates : ....

22. Amount of refund adjustment order (RAO No.) : ....

23. Total amount deposited (20+21+22) : ....

24. Remaining additional demand (19-23)

25. Amount of refund, if any : ....

26. Amount of refund due to brought forward Input tax rebate : ....

27. Specify the reasons of difference in amounts of column 11 and column 26 : ....

28. Amount deposited at the time of application (Challan number and date) : ....

I,... Proprietor/Partner/Director of.......................................
.............., hereby, verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place :.............. Signature ....

Date : .... Name of Firm ....

....

....

FORM-B

Application under the Notification No. ………………….. dated ……………

for the assessment case of financial year 2010-11 under Central Sales Tax Act, 1956

To,

The Assessing Authority, (Officer)

. . . .

. . . .

1. Dealer's name and address :………………………………………………………
2. TIN (Taxpayers Identification Number) :………………………………………………………
3. Gross Inter State sales :………………………………………………………
4. Deductions.—
   - a Sale price of wholly tax free goods :………………………………………………………
   - b Subsequent sales (attached Form 'C' and 'E-1'/ 'E-2' along with list) :………………………………………………………
   - c Other deductions (give details and evidence thereof) :………………………………………………………

   Total deductions:
5. Taxable sales (3-4) :………………………………………………………
6. Rate wise classification of taxable sales

	Description	Sales turnover	Rates of tax	Amount of tax
(1)	Sales against 'C' Form declarations (as per list)			
(2)	Sales without 'C' Form declaration			
(3)				
(4)				

7. Total tax payable : ………………………………………………………
8. Amount of interest (If payable) as per Section 18 (4)(a) of VAT Act. : ………………………………………………………
9. 9Amount of penalty (If payable) as per Section 18 (4)(b) of VAT Act. : ………………………………………………………
10. Total Tax payable, interest thereon and penalty, (7+8+9): ………………………………………………………
11. Amount of Input tax rebate adjusted against the Central Sales Tax from VAT Act. : ………………………………………………………

12. Amount deposited by challan (if deposited previously) : ....

13. Amount of refund adjustment (RAO No.) : ....

14. Total (11+12+13) : ....

15. Remaining additional demand (10-14) : ....

16. Amount of refund (if any) : ....

17. Amount deposited at the time of application (specify challan: number and date) : ....

I, ... Proprietor/Partner/ Director of .... hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place :..................

Date :..................

Signature ....

Name of Firm ....

....

....

FORM-C

Application under the Notification No. .... dated ....

for the assessment case of year 2010-11under Entry Tax Act.

To,

The Assessing Officer,

....

....

1. Name and address of Dealer : ....
2. (TIN) Taxpayers Identification No : ....
3. Gross purchase amount : ....
4. Deductions:- : ....
   - (1) Purchase price of goods exempted from entry tax under section 10. : ....
   - (2) Purchase price of local goods. : ....
   - (3) Purchase price of goods purchased from registered dealer, other than local goods. : ....
   - (4) Purchase price of Inter State sales of goods : ....
   - (5) Purchase price of sales/transfer of goods outside of the State : ....
   - (6) Purchase price of goods in the course of export : ....
   - (7) Purchase price of Schedule III goods for resale : ....
   - (8) Other deductions (give details and evidence thereof) : ....
   - (9) Total deductions : ....
5. Taxable purchase price (3-4) : ....

6. Calculation of tax on taxable purchase

Rate	Taxable purchase	Tax Payable
(1) 1 Percent		
(2) 2 Percent		
(3) other rate		

7. Total Entry Tax payable : ....
8. Interest payable, if any, as per Section 18(4)(a) of VAT Act. : ....
9. Amount of penalty (If payable) as per section 18(4) (b) of the VAT Act. : ....
10. Total (7+8+9) : ....
11. Set off (if any) : ....
12. Amount of refund adjustment (RAO No.) : ....
13. Total (11+12) : ....
14 Remaining demand (10 -13) : ....
15. Amount deposited by challan (if deposited previously) : ....
16. Remaining additional demand (14-15) : ....
17. Refund amount, if any : ....
18. Amount deposited at the time of application (specify challan number and date) : ....

I, ... Proprietor/Partner/ Director of .... hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place :.................... Signature ....

Date :.................... Name of Firm ....

....

....

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.